

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू० पी० (कि०) सं०-16 वर्ष 2017

सुरेन्द्र सिंह, पुत्र—श्री सतपाल सिंह, निवासी—गाँव तिवाला, तहसील चरखी, दादरी, डाकघर एवं थाना—तिवाला, जिला—मिदानी (हरियाणा) वर्तमान में चेक पोस्ट पर, चास, डाकघर एवं थाना—चास, जिला—बोकारो।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, राँची
3. पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो
4. पुलिस अधीक्षक, बोकारो
5. प्रभारी, पिंड्राजोरा पुलिस स्टेशन, चास, बोकारो
6. पिंड्राजोरा थाना काण्ड संख्या 53 वर्ष 2015 का अन्वेषण अधिकारी, थाना—पिंड्राजोरा, डाकघर—चास, बोकारो
7. शशि भूषण सैनी, पुत्र—बलवंत सिंह सैनी, निवासी—डी-25, न्यू पालम विहार, फेज-1, गुड़गाँव, डाकघर और थाना—पालम विहार, जिला—गुड़गाँव, हरियाणा
8. महेश, पुत्र—राम सिंह, निवासी—प्रोप्राइटर शिव प्रॉपर्टीज, फेज-1, न्यू पालम विहार, डाकघर एवं थाना—पालम विहार, गुड़गाँव, जिला—गुड़गाँव, हरियाणा
9. रणबीर, पुत्र—रतन सिंह, निवासी—बरगेरा, डाकघर एवं थाना—पालम विहार, गुड़गाँव, जिला—गुड़गाँव, हरियाणा
10. उषा रानी, पत्नी—नरेन्द्र सैनी, निवासी—डी-17, न्यू पालम विहार, फेज-1 चिमा, गुड़गाँव, डाकघर एवं थाना—पालम विहार, जिला—गुड़गाँव, हरियाणा

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए :- मैसर्स साईबल मित्रा और निवेदिता कुंडू, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :- श्री विजयंत वर्मा, जी०पी०-॥ का जे०सी०।

03/24.03.2017 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साईबल मित्रा एवं जी०पी०-॥ के विद्वान जे०सी० श्री विजयंत वर्मा सुने गए।

इस रिट एप्लिकेशन में, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादी सं०-1 से 6 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी सं०-7 से 10 जो पिंझाजोरा थाना काण्ड सं०-53/2015 में अभियुक्त हैं, को गिरफ्तार करने का प्रयास करें।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी सं०-4 को अपनी शिकायत के संबंध में अभ्यावेदन दिया है।

चूंकि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण प्रतिवादी सं०-4 द्वारा किया जा सकता है, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं०-4 को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत वास्तविक पाई जाती है तो कानून के अनुसार कदम उठाएँ।

ह०

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)